कांग्रेसियों ने अर्थी सजाकर गैस सिलेंडर की निकाली शवयात्रा

नवभारत न्यूज
मुरैना, 31 मार्च। देशभर में रसोई गैस की किल्लत, बिजली की बढ़ी हुई दरों में वृद्धि के विरोध में जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर की अर्थी सजाई और पूरे बाजार से शव यात्रा

पुरानी कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा

निकालते हुए पुरानी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उत्तर ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष विनोद शर्मा, जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर, पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, जितेन्द्र डंगस, अब्दुल रज्जाक पटेल, रहीस खान, प्रदीप रजक, गौरव चतुर्वेदी, हरीराम पचौरिया, बैजनाथ पिप्पल, बंगाली जाटव, वकील जाटव आदि शामिल थे।

सुमावली : आसन बैराज में पानी भरा जाए, गल्ला मंडी जल्द बने : पेट्रोल-डीजल, गैस महंगाई को लेकर मंगलवार को सुमावली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भभूती सिंह गुर्जर और प्रमोद सिंह परमार सरायछौला के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उप तहसील कार्यालय सुमावली पर नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में राजस्व निरीक्षक ओपी आर्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल-डीजलए गैस की महंगाई के साथ 112 करोड़ से बने आसन बैराज डैम में जल्द से जल्द पानी भरनेए 2018 में 86 लाख की लागत से गल्ला मंडी भवन निर्माण का भूमिपूजन होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है।

कैलारस : खाली गैस सिलेंडर के साथ तहसील पर प्रदर्शन : ब्लॉक कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी कैलारस के नेतृत्व में स्थानीय तहसील कार्यालय पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरेंद्र सिंह जादौन, बृजमोहन मरैया, ओमप्रकाश शर्मा पूर्व सरपंच, डॉ. शम्मा कुरैशी, अशोक जाटव, धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, जगदीश प्रजापति, सरपंच अनुराग दुबे आदि कांग्रेसी मौजूद रहे।

पोरसा : एसडीएम कार्यालय पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन

बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, बिजली दरों में बढ़ोतरी तथा पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर आमजन में बढ़ते असंतोष के बीच आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले अंबाह तहसील परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महुआ के अध्यक्ष शेरा तोमर के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शन में विधायक देवेंद्र सखवार, रामू तोमर, महेश विकल, शैलेंद्र शर्मा, जय राजौरिया, रामबहादुर प्रजापति, वीरेंद्र सखवार, वीरपाल लोधी आदि मौजूद रहे।

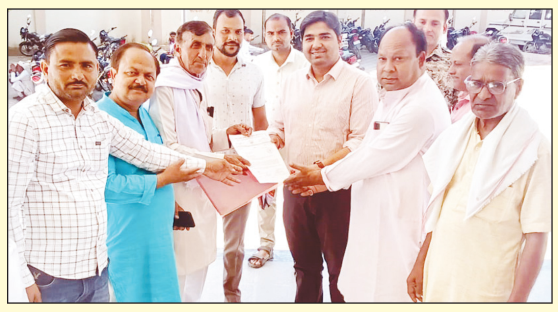

जौरा :-बिजली दरों में वृद्धि जनता पर आघात

जौरा कस्बे में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम एसडीएम शुभम शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मप्र में बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग प्रमुख है। ज्ञापन देने वालों में रामहेत त्यागी, डॉ. मुरारीलाल अमर, दीपक यादव, डॉ. सुरेश शर्मा, पवन कटारे, प्रमोद शर्मा, राजेश सिंघल, राजू मंत्री, रानू पाराशर आदि कांग्रेसी शामिल हैं।

नाबालिग से छेड़खानी करने वाले को 3 वर्ष सश्रम कारावास

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 31 मार्च। नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के एक आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 2 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

2 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित

जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने बताया कि 17 फरवरी 2024 को अभियुक्त की मां हिंडौन राजस्थान दवा लेने गई थी। वह अपनी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ गई थी। दादी पारे का पुरा खाना बनाने चली गई थी और अभियुक्ति घर पर अकेली थी। तीन बजे के करीब पीड़िता घर में गाय को चारा डालने गई थी। काम से थक-हारकर वह आंगन में खटिया पर लेट गई। तभी आरोपी सचिन गोस्वामी वहां आ गया और पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के परिजन के आने पर आरोपी मौके से भाग निकला। इसके बाद पीड़िता ने जौरा थाने पहुंचकर छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय माधव प्रसाद नामदेव ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार करते हुए सचिन 20 पुत्र रामनिवास गिरि निवासी जौरा को दोषी मानते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार जुर्माने से दंडित किया है।

कर्तव्यनिष्ठा व समर्पण ही शिक्षक की पहचान : परिहार

नवभारत न्यूज
मुरैना, 31 मार्च। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खेरे बारे का पुरा से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक रामकुमार सिंह सिकरवार का विदाई समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ। समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में हुआ।

सेवानिवृत्ति पर शिक्षक रामकुमार सिकरवार को दी भावभीनी विदाई

कार्यक्रम में मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पवन सिंह परिहार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त हुए शिक्षक रामकुमार सिंह सिकरवार का कार्यकाल सराहनीय और अनुकरणीय है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण करने में बतौर शिक्षक अपनी भूमिका का पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती निर्मला सिकरवार ने की। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सिकरवार एक आदर्श शिक्षक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। उनकी सादगी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और उनके साथ बिताए गए पलों को साझा किया। कार्यक्रम के अंत में मनीष शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर जितेन्द्र शर्मा, अरविन्द सिंह सिकरवार, उमेश अवस्थी, डम्बर सिंह, उमेश चौधरी, रामअवतार इंदोलिया, गिर्राज खरे, बनबारी लाल कुशवाह, सुखियाराम भगत, आयुष सिंह तोमर, वेदप्रकाश शर्मा, गणेश शर्मा, प्रदीप सिंह सिकरवार, जितेन्द्र सिंह, मनोज शर्मा आदि उपस्थित थे।

संगठन सुदृढ़ीकरण में प्रशिक्षण वर्ग की भूमिका अहम : शिवमंगल

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 31 मार्च। भाजपा के जौरा ग्रामीण मंडल के दो दिवसीय पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग का 31 मार्च को समापन हो गया। समापन अवसर पर क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। पूर्व मंत्री मुंशीलाल, जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह सिकरवार, रामरूप तोमर, प्रताप गुर्जर विशेष रूप से उपस्थित थे।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि संगठन के सुदृढ़ीकरण और

भाजपा के जौरा ग्रामीण मंडल का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित

कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाकर मजबूत संगठन और सशक्त राष्ट्र के संकल्प के लिए प्रेरित करना ही प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करने के ध्येय को साकार करने का काम करे। इसके लिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम करें। प्रशिक्षण वर्ग को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अंकुर त्यागी ने की। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रकाश त्यागी, बाबूलाल, रामबाबू शर्मा, सुल्तान सिंह कुशवाह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जौरा-पोरसा में 109 विद्युत बकायादारों के काटे कनेक्शन

नवभारत न्यूज
जौरा/पोरसा, 31 मार्च। बिजली का उपभोग कर बिल जमा नहीं करने और बिजली

31 मार्च को बकायादारों से जमा कराए 38 .44 लाख रुपए

लाइनों और मीटरों को बायपास कर बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध जौरा व पोरसा कस्बे में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

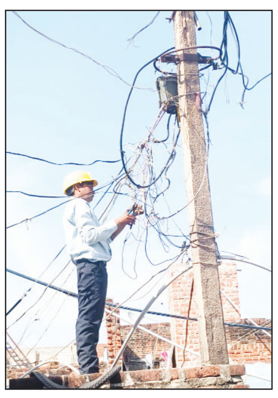

बिजली कंपनी के सहायक यंत्री पीएस यादव, कनिष्ठ यंत्री मुकेश कुमार मिश्रा की देखरेख में वसूली टीम ने मंगलवार को सुबह से ही एमएस रोड, चंद्रशेखर आजाद रोड, नया बाजार, संजय नगर, सिंघलपुरा, डाकखाना रोड, पचबीघा, अस्पताल रोड, इस्लामपुरा, सुभाष रोड सहित अन्य गली-मोहल्लों में 72 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। इनमें से कई उपभोक्ताओं ने मौके पर ही 36 लाख 44 हजार की राशि जमा कराई, उनके कनेक्शन पुनरू जोड़े गए। इसी प्रकार पोरसा कस्बे में भी भिंड रोड क्षेत्र में 37 बकायादारों के कनेक्शन काटे। बिजली कनेक्शन कटने के बाद 15 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही 2 लाख रुपए की राशि जमा कराई।

घर में छुपाकर रखी 5 .40 लाख की बीयर-शराब जब्त, 1 गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
मुरैना, 31 मार्च। कैलारस क्षेत्र के पचेखा गांव में अवैध बिक्री के इरादे से छुपाकर रखी गई 248 पेटी बीयर और 7 पेटी देशी शराब

कैलारस पुलिस की पचेखा गांव में कार्रवाई, 248 पेटी बीयर, 7 पेटी शराब जब्त

को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

जानकारी के अनुसार 30 मार्च को कैलारस थाना प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह कुशवाह को मुखबिर ने सूचना दी कि पचेखा गांव में रहने वाले महावीर तोमर उर्फ मोनू ने अपने घर में बड़ी मात्रा में शराब का अवैध रूप से भंडारण कर रखा है। निरीक्षक श्री कुशवाह ने फोर्स के साथ पचेखा गांव में महावीर तोमर के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस ने महावीर के घर से 248 पेटी बीयर एवं देशी शराब की 7 पेटियां बरामद कीं। जिनका बाजारू मूल्य 5 लाख 39 हजार 500 रूपये बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से महावीर तोमर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महावीर तोमर के विरुद्ध कैलारस थाने में आबकारी एक्ट सहित अन्य धाराओं में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए जा रहे है।

कार्रवाई करने वाली टीम में यह रहे शामिल

निरीक्षक सतेन्द्र सिंह कुशवाह, एसआई जितेन्द्र शर्मा, मनोज यादव, एएसआई रामनरेश सिंह, प्र.आर. पंचम सिंह, अजीत, आशीष, गजेन्द्र, मुकेश शर्मा, धर्मेन्द्र सिंह, बदन सिंह, आरक्षक राजाराम, राहुल, सतेन्द्र, रवि यादव, विजयपाल, बृजेश विमल, विष्णु जाट, बृजमोहन, मोहन पटेरिया, आरक्षक चालक शाकिर खान कार्रवाई करने वाली टीम में शामिल थे।

एक नजर में

श्रमिकों को कराया भोजन, दिया सामाजिक उत्तदायित्व का संदेश

मुरैना, 31 मार्च। बिस्मिल शिक्षा एवं जनकल्याण सेवा संस्थान द्वारा समाजसेवी स्व. पातीराम सिंह सिकरवार की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा और संवेदनशीलता का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने बिस्मिल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. नरेश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में फसलों की कटाई के लिए बाहर से आए एक सैकड़ा से अधिक श्रमिकों का सम्मान किया। बिस्मिल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. नरेश सिंह सिकरवार ने कहा कि किसी भी संवेदनशील समाज की पहचान उसके कमजोर और श्रमिक वर्ग के प्रति दया और करुणा से होती है। इस अवसर पर विमलेश यादव, रघुराज परमार, सतंजय मिश्रा, जगदीश शर्मा, डॉ हरेंद्र तोमर, रामावतार सिंह चंबल, रामबरन पायथा, रूप सिंह सिकरवारए कमलेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

प्रशिक्षण से होता है कार्यकर्ताओं में व्यक्तित्व का निर्माण : तोमर

मुरैना। विधानसभा के दक्षिण मंडल में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। सर्वप्रथम महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं वंदे मातरम से वर्ग का आरंभ हुआ। इस अवसर पर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने बताया कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं। इस अवसर पर संभागीय प्रभारी डॉ. दीपक सिंह, मंडल अध्यक्ष धीरज सोनू शर्मा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामनरेश शर्मा, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा रीना डंडोतिया, जिला उपाध्यक्ष भावना जालौन, मधुकर शर्मा टीटू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जन सुनवाई : जिपं सीईओ ने 188 लोगों की सुनी समस्याएं

मुरैना। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव द्वारा जनसुनवाई में 118 आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत, डिप्टी कलेक्टर अरविन्द माहौर, भरत कुमार, श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा, एसडीएम मुरैना बीएस कुशवाह एवं उमेश अवस्थी सहित समस्त जिला अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में श्री भार्गव ने राजस्व, भूमि विवाद, छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पेंशन, स्वच्छता, अतिक्रमण, सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों को सुना गया। प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को जन आकांक्षा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये।

पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

नवभारत न्यूज
मुरैना, 31 मार्च। सुमावली एवं पहाड़गढ़ थानों की पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के

दो आरोपी गिरफ्तार, सुमावली, पहाड़गढ़ पुलिस की कार्रवाई

विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे दो ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त किए है। पुलिस ने दोनों वाहनों के ड्राईवरों को गिरफ्तार किया है।

सुमावली थाना पुलिस ने वाहनों की चैकिंग के दौरान अंबेकेश्वर मंदिर के पास से पत्थरों का परिवहन कर रहे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर ड्राईवर को गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध मप्र खान एवं खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई में एसआई रवि गुर्जर, एएसआई मुन्नालाल, प्र.आर. कृष्णा, आरक्षक अर्जुन, सुरेन्द्र और नूराबाद थाने की टीम शामिल थी।

इधर पहाड़गढ़ थाना पुलिस ने 31 मार्च को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पहाड़गढ़-कन्हार रोड से एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। ट्रॉली में पत्थर भरे हुए थे। ड्राईवर खनिज के रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। पुलिस ने ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर एफआईआर दर्ज की है। कार्रवाई में निरीक्षक राजेन्द्र सिंह परिहार, एसआई नंदकिशोर गौरसिया, प्र.आर. शिवसिंह, रामजीलाल, आरक्षक दीपेन्द्र परमार, सुमित, राजेश शामिल थे।

कलेक्टर ने जौरा में सुनी आमजन की समस्याएं

मुरैना, 31 मार्च। आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान तथा प्रशासन को जनता के और अधिक निकट लाने के उद्देश्य से कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मंगलवार को जौरा स्थित एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने नागरिकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एसडीएम जौरा शुभम शर्मा, तहसीलदार बालकृष्ण मिश्रा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

योजनाओं में तेजी लाएं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

नवभारत न्यूज
मुरैना, 31 मार्च। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी अप्रैल माह के अंत में होने वाली समीक्षा बैठक तक प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ओपी पांडे, सीएमएचओ डॉ. पद्मेश उपाध्याय, समस्त बीएमओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर सहित मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जाए और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन एक हजार टीकाकरण का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर कहा कि सभी केंद्र नियमित समय पर खुलें और बच्चों को समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने वाला नाश्ता एवं भोजन समय पर मिले। जिन समूहों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरुद्ध लिखित शिकायत प्रस्तुत की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान यदि कहीं भोजन वितरण में अनियमितता पाई गईए तो संबंधित सुपरवाइजर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित रूप से संचालित हों। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मरीज का विधिवत परीक्षण किया जाए, आवश्यक जांच कराई जाए तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ओपीडी पर्ची अनिवार्य रूप से बनाई जाए, ताकि मरीज भविष्य में उसी के आधार पर पुन: परामर्श प्राप्त कर सके।

शहर के पार्कों में पेयजल व साफ-सफाई व्यवस्था बदहाल

मुरैना, 31 मार्च। नगर निगम क्षेत्र में पार्कों की जर्जर स्थिति पर नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराते हुए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष राजेश राठौर ने कहा है कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से आयुक्त और महापौर को समय मिल जाए तो पार्कों में मूलभूत सुविधाओं के लिए जरूरी कदम उठाए। श्री राठौर ने यह बात ननि आयुक्त सतेंद्र धाकरे से पत्र लिखकर कही है। राठौर ने पार्कों के अंदर लगी ओपन जिम और बच्चों के खेलने के उपकरणों की मरम्मत न होने के कारण उपयोग के योग्य नहीं रहे हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए। शीतल जल, सुलभ शौचालय एवं साफ-सफाई की व्यवस्था तत्काल कराई जाए, पार्कों के बाहर फैले अंधेरे से निजात दिलाने तत्काल स्ट्रीट लाइट लगवाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाए। पार्को के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और उचित देखभाल के लिये सुरक्षा गार्ड और माली की ड्यूटी लगाकर निगरानी की व्यवस्था तत्काल की जाए।

आम सूचना

श्री दीवान सिंह पुत्र श्री ग्याजीत के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित विक्रम नगर, ग्राम जौराखुर्द, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.45 (चंबल वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.2103/1 ग्राम जौराखुर्द का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 525 वर्गफुट है और उक्त सम्पत्ति की चर्तुसीमा निम्न प्रकार हैं :- पूर्व-भूखण्ड श्री सुभाष सिंह तोमर, पश्चिम-रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर- भूखण्ड श्री भारत एवं दक्षिण-भवन श्री रविन्द्र सिंह है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री सियाराम, श्री रामजीलाल पुत्रगण श्री देवकिशुन, भगवती, रामबाई पुत्रियां श्री देवकिशुन के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री सियाराम यादव द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री रामस्वरूप सिंह यादव पुत्र श्री सियाराम यादव के हित में ई-रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र.एमपी25792019ए4503941 दिनांक 17.10.2019 को सम्पादित किया गया। श्री सियाराम यादव जये मुख्त्यारआम श्री रामस्वरूप सिंह यादव द्वारा सम्पत्ति 1050 वर्गफुट एरिया श्री दीवान सिंह एवं श्री रविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री गयाजीत को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792019ए 1855307 दिनांक 19.12.2019 से विक्रय की गई। श्री दीवान सिंह एवं श्री रविन्द्र सिंह के मध्य ई-रजिस्टर्ड विभाजन विलेख क्र.एमपी27 आईजीआर 17912025 ए100319676 दिनांक 15.05.2025 को सम्पादित किया गया। तत्पश्चात् श्री दीवान सिंह पुत्र श्री ग्याजीत उक्त सम्पत्ति के मालिक हुये। श्री दीवान सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्यो. भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री हजारीलाल के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.07, स्थित अम्बाह बायपास रोड से दूर, ग्राम लालौर, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.15 (महादेव वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.2074/1/1 ग्राम लालौर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 920 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड क्र.03 एव 04, पश्चिम में भूखण्ड क्र.08 प्रीति, उत्तर में-रास्ता 25 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.09 है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री गुलाब सिंह, श्री सियाराम, श्री भागचंद्र, श्री रामकिशन, श्री पंचम सिंह पुत्रगण श्री शंकर सिंह एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री भागचंद्र का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती सपना यादव पुत्री श्री भागचंद्र उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री पंचम सिंह एवं श्रीमती सपना यादव द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री हजारीलाल को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी27आईजीआर 17912025ए100178796 दिनांक 28.03.2025 से विक्रय की गई। श्रीमती गुड्डी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान आदित्य बिड़ला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री भागचंद्र के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी । तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्यो. भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710